

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. सीआरओ/ क्यू एम/ एल-8004405

Licence No. CRO/QM/L-8004405

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby grants to

मेसर्स फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन
मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी,
कमला नेहरू नगर,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201002

M/s Pharmacopoeia Commission for Indian
Medicine and Homoeopathy,
Kamla Nehru Nagar,
Ghaziabad,
Uttar Pradesh-201002

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों
और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रॉ) में
उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के
उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति
के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of
Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly
described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or
processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and
under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों
और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को
उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there
under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe
with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 10 मई 2024 से 09 मई 2027 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।
This licence shall be valid from 10 May 2024 to 09 May 2027 and may be Recertified as prescribed in the
Regulations.

2024 के मई माह के दसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।
Signed, Sealed and dated this Tenth day of May 2024.



(Dr. R K Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. सीआरओ/ई एम/एल-8000469

Licence No. CRO/EM/L-8000469

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby grants to

मेसर्स फार्माकोपिया कमीशन फार इंडियन मेडिसिन
एण्ड होम्योपैथी,
कमला नेहरू नगर,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201002

M/s Pharmacopoeia Commission for Indian
Medicine and Homoeopathy,
Kamla Nehru Nagar,
Ghaziabad,
Uttar Pradesh-201002

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों
और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों)
में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के
उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 14001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध
पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of
Environmental Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes
particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or
services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given
above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 14001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और
विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त
नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there
under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe
with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 10 मई 2024 से 09 मई 2027 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जासकेगा।

This licence shall be valid from 10 May 2024 to 09 May 2027 and may be Recertified as prescribed in the
Regulations.

2024 के मई माह के दसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरोंकित।

Signed, Sealed and dated this Tenth day of May 2024.

(Dr. R K Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

601-ए/ए, कनेक्टस टॉवर / Konnectus Tower-1, छठी मंजिल / 6th Floor, डीएमआरसी बिल्डिंग / DMRC Building,
भवभूति मार्ग / Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली / New Delhi-110002

लाइसेंस सं. सीआरओ/ओ एच/एल-8000760

Licence No. CRO/OH/L-8000760

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby grants to

मेसर्स फार्माकोपिया कमीशन फार इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी,
कमला नेहरू नगर,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201002

M/s Pharmacopoeia Commission for Indian
Medicine and Homoeopathy,
Kamla Nehru Nagar,
Ghaziabad,
Uttar Pradesh-201002

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित
उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति
प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस
प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा,
आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते
(पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees
of Occupational Health and Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or
services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence.
Such products and/or services shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at
only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 45001:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए
नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा
ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations
made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the
Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 10 मई 2024 से 09 मई 2027 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा
सकेगा।

This licence shall be valid from 10 May 2024 to 09 May 2027 and may be Recertified as prescribed in the
Regulations.

2024 के मई माह के दसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।
Signed, Sealed and dated this Tenth day of May 2024.

(Dr. R K Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

